न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वर्ष 2023

मुत.(6ए)संख्या 01/23

GCMS NO :–2023/19

बउनवानीः–सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. मैसर्स श्रीराम होटल, मण्डी रोड़ आलनपुर सवाईमाधोपुर
2. श्री विमलचन्द पुत्र श्री मोतीलाल साहू निवासी मनिहारी मोहल्ला सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्री रिपुदमन सिंह (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद

श्री रामस्वरूप साहू वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 5.3.2024

प्रवर्तन अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 16.01.2023 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 03.01.2023 को घरेलु एल.पी.जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच के दौरान अप्रार्थी अपनी फर्म श्रीराम होटल मण्डी रोड, सवाई माधोपुर पर घरेलू गैस सलेण्डर को व्यवसायिक कार्यो मे अवैध उपयोग लेते हुये पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये पांच गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी ।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्री ज्ञानचन्द,प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर एवं श्री मुनेश मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 3.01.2023 को अप्रार्थी की श्रीराम होटल, मण्डी रोड़ आलनपुर सवाईमाधोपुर पर पहुँचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच फर्म के मालिक श्री विमलचन्द पुत्र श्री मोतीलाल साहू उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 5 घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग गैस बर्नर को रबड टयूब, रेगूलेटर को चूल्हे से जोडकर चूल्हे पर ग्राहको के लिए रोटी सब्जी इत्यादि व्यावसायिक कार्य मे लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गेस सलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना पाया गया। अतः द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 की शर्त संख्या 3(1)(क)(ख)(ग)(घ) एवं 7 (ग) का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप मौके पर पाये गये निम्न घरेलू गैस सलेण्डर को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया जाकर निम्नानुसार जब्त किये गये सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा तैयार कर मैसर्स रणथम्भौर गैस सर्विस सवाईमाधोपुर के प्रतिनिधी श्री पुनीत गर्ग पुत्र श्री हुकमचन्द गर्ग को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी मे दिये गये है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:21:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 01/23 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम मैसर्स श्रीराम होटल)

क्र. स.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का विजन कि.ग्रा.	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार	शुद्ध गैस
1	एच.पी.सी.एल	244530	15.4	25.8	10.4
2	एच.पी.सी.एल	16005	16.8	31.0	14.2
3	एच.पी.सी.एल	802611	15.3	29.7	14.4
4	एच.पी.सी.एल	979682	15.8	22.5	6.7
5	आईओसीएल	13127	15.5	28.8	13.3

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 5 गैस सिलेन्डर को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।
विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि जॉच दल द्वारा प्रार्थी की होटल से 5 गैस सलेण्डर अवैधानिक तरीके से मनमानी पूर्वक जब्त किये गये है, क्योकि मौके पर केवल एक गैस सिलेण्डर ही होटल स्टॉफ के लिए खाना बनाने के काम में लिया जा रहा था शेष 4 गैस सिलेण्डर किसी दीगर व्यक्तियों के थे जो गैस भरवाने के लिए लाये गये थे तथा गैस भरवाकर किसी काम से बाजार चले गये थे कि वापस आने पर घर लेकर जायेगें लेकिन इसी दौरान जॉच दल द्वारा उक्त गैस सलेण्डर भी जब्त कर लिये गये है। जॉच दल द्वारा मौके पर कोई विडियो ग्राफी नही करवायी गयी यदि विडियो ग्राफी करवायी होती तो सच सामने आ जाता। यह भी तर्क दिया प्रार्थी द्वारा अपनी होटल पर व्यवसायिक गैस. सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नही किया जा रहा था। अतः प्रार्थी के जब्त किये गये 5 गैस सिलेण्डर किये आ रहा था

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी की होटल से प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 3.1.2023 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 5 गैस सलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा अपनी होटल पर ग्राहको के लिए रोटी, सब्जी बनाकर व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन हो जाती है। वकील अप्रार्थी के अनुसार एक गैस सिलेण्डर स्टॉफ के लिए खाना बनाने तथा अन्य 4 गैस सिलेण्डर किसी अन्य व्यक्तियों के थे जिनमे गैस भरवाकर घर ले जाने के लिए रखे गये थे। उक्त 5 गैस सलेण्डर मे से 2 गैस सलेण्डर पूर्ण भरे हुए थे तथा 3 गैस सलेण्डर ना तो पूर्ण भरे हुए थे ओर ना ही पूर्ण रूप से खाली थे इसलिए उक्त गैस सिलेण्डर को भरवाकर/भरवाने के लिए दुकान पर रखे जाने बाबत किये गये कथन की पुष्टि नही होती है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन अधिकारी स0मा0 द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 5 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 5 गैस सलेण्डर का निस्तारण करवाकर निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.2024 को खुले न्यायालय में जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:21:44 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner